ए.

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 2473)

बी.

अप्रैल 19,2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनःआंध्र प्रदेश शिक्षक (चयन योजना) नियम, 2012 के पद के लिए प्रत्यक्ष भर्ती -r. 16 (5)-शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया-अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसे 34 वें स्थान पर रखा गया-प्रत्यर्थीगणओं ने घोषणा की कि क्रम संख्या तक के उम्मीदवार। उपलब्ध रिक्तियों में योग्यता सूची में 33 (अधिसूचित रिक्तियां) का चयन किया जाता है और तदनुसार 33 उम्मीदवारों को परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है-एक उम्मीदवार परामर्श के लिए नहीं आया-परिणामस्वरूप, सामान्य श्रेणी में एक पद उक्त उम्मीदवार की गैर-भागीदारी के कारण अधूरा रहा-अपीलकर्ता ने अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया गया था-न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर ओ. ए. को अनुमति दी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईःआर के उप-नियम (5) के अनुसार।16, चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी-इसमें विशेष रूप से यह भी प्रावधान है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और यदि कोई पद किसी भी कारण से खाली हैं, तो उन्हें भविष्य में भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाएगा-33 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची तैयार की गई थी।इसके बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को परामर्श के लिए बुलाया गया, लेकिन उम्मीदवारों में से एक ने परामर्श के लिए रिपोर्ट नहीं किया-इसलिए, कहा कि अंतिम चयन सूची तैयार करने और प्रकाशित होने के बाद कार्यक्रम हुआ-क्योंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, योग्यता में अगला होने का दावा करने वाला अपीलार्थी किसी भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाम न तो चयनित उम्मीदवारों की सूची में था और न ही किसी प्रतीक्षा सूची में क्योंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था-आर का उप-नियम (5)।16 बहुत स्पष्ट है-इसलिए, पद अधूरा रहा और उस पद को अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ाना पड़ा-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को उलट दिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1080

1081

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए

ए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

आयोजित किया गया:**1.** एक बार अंतिम चयन सूची तैयार होने के बाद दिशानिर्देशों के साथ पढ़े गए नियम**, 2012** के नियम **16** को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर**,** कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और यदि कोई पद किसी भी कारण से खाली हैं**,** तो उन्हें नियम**, 2012** के नियम **16** के उप**-**नियम **(5)** के अनुसार भविष्य में भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। वर्तमान मामले में **33** उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची तैयार की गई थी।इसके बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को परामर्श के लिए बुलाया गया**,** लेकिन उम्मीदवारों में से एक ने परामर्श के लिए रिपोर्ट नहीं किया।उपरोक्त कार्यक्रम अंतिम चयन सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के बाद हुआ।चूंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी**,** इसलिए योग्यता में अगला होने का दावा करने वाला अपीलकर्ता किसी भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाम न तो चयनित उम्मीदवारों की सूची में था और न ही किसी प्रतीक्षा सूची में क्योंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।**[**पैरा **7.3,7.4] [1090-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

2. अपीलार्थी उस पद पर नियुक्ति का दावा कर सकता था जो भरा नहीं रहा था बशर्ते कि वैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो।प्रतीक्षा सूची के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में और इसके विपरीत**,** एक विशिष्ट प्रावधान है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और किसी भी आधार पर खाली पड़े पद को अगली भर्ती के लिए आगे

बढ़ाना होगा।इस प्रकार, अपीलार्थी को उस पद पर किसी भी नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था जो खाली रह गया था।**[**पैरा **7.5] [1090-**डी-एफ**]**

ई.

3. अब, अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि नियम **16** के उप-नियम **(5)** के अनुसार, अधिसूचित सभी **33** पदों को भरा जाना आवश्यक है, इसमें कोई सार नहीं है।नियम **16** के उप-नियम **(5)** को समग्र रूप से और पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है और इसे जारी किए गए दिशानिर्देशों के साथ पढ़ने की आवश्यकता है।नियम **16** के उप-नियम **(5)** के तहत जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।हालांकि, इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और पद, यदि कोई हैं, जो किसी भी कारण से खाली हैं, उन्हें भविष्य की भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।अतः इससे अधिक की कोई नियुक्ति नहीं होगी।

एफ.

जी.

एच.

अधिसूचित रिक्तियों की संख्या लेकिन इसका मतलब प्रतीक्षा सूची तैयार करना और संचालित करना नहीं है, जो अन्यथा नियम, **2012** के तहत विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है।**[**पैरा **8] [1090-**एच**; 1091-**ए-सी**]**

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद और अन्य, (2004) 2 एस. सी. सी. 681; आंध्र प्रदेश राज्य, प्रतिनिधि।इसके सचिव, शिक्षा विभाग और अन्य द्वारा।सामीउला

बी.

शरीफ और अन्य, 2014 (1) ए. एल. टी. 165 डी. बी.-पर निर्भर थे।

4. सुरेश प्रसाद और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और दिशानिर्देशों के साथ पढ़े गए नियम, **2012** के नियम **16** में निहित वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, अपीलार्थी योग्यता सूची में उम्मीदवार के नीचे अगली खाली जगह पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है।यदि अपीलार्थी की ओर से निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान किया जाएगा, जो अन्यथा नियम **16** के उप-नियम **(5)** के अनुसार अनुमेय नहीं है।यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो उस मामले में, यह प्रत्यर्थीगण

को वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का निर्देश देगा।इसलिए, उच्च न्यायालय ने उस पद पर अपीलार्थी को नियुक्त करने से इनकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है जो अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों में से एक के परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण खाली रहा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पूरी तरह से प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।**[**पैरा **9] [1091-**ई**-**एच**]**

सी.

डी.

ई.

जिला शिक्षा अधिकारी और सदस्य संयोजक, जिला चयन समिति, निजामाबाद और अन्य।
बी.

2005 की अन्नपूर्णा रिट याचिका संख्या 21306-संदर्भित।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

(2004) 2 एस**.** सी**.** सी**. 681**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4.4**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2473।

जी.

2015 की रिट याचिका No.12144 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.07.2021 के निर्णय और आदेश से।

एच.

1083

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए

ए.

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, सादिनेनी रवि कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

महफूज़ अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ़, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2015 की रिट याचिका संख्या 12144 में पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और 2013 के ओ. ए. No.4916 में ए. पी. प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद द्वारा पारित आदेश को रद्द और रद्द कर दिया है, मूल आवेदक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

सी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:- 2.1 कि इसमें अपीलार्थी ने डी. एस. सी.-2012 नामक अधिसूचना के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रत्यर्थीगणओं द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में भाग लिया। तैंतीस (33) पदों को अधिसूचित किया गया और अधिसूचित 33 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।इन नियुक्तियों को शिक्षक (चयन योजना) नियम, 2012 (इसके बाद "नियम, 2012" के रूप में संदर्भित) के पद के लिए आंध्र प्रदेश प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा धारा 169 की उप-धारा (3) और (4), धारा 195 की उप-धारा (3) और (4) और आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 243 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था। नियम, 2012 के नियम 16 में चयन सूचियों को तैयार करने का प्रावधान है।नियम 16 के उप-नियम (5) के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।इसमें विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और पद, यदि कोई हैं, जो किसी भी कारण से खाली हैं, उन्हें भविष्य की भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.2 कि जी. ओ. सुश्री संख्या 91 दिनांक 03.11.2012 के माध्यम से, राज्य ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।खंड 8 में प्रमाणपत्रों के सत्यापन और चुनिंदा सूचियों को तैयार करने का प्रावधान है (जिन पर नीचे चर्चा की जाएगी)।2.3 अपीलार्थी ने उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया, हालांकि, उसने 58.08 अंक प्राप्त किए और 34 वें स्थान पर रहा।द.

एच.

प्रत्यर्थीगणओं ने घोषणा की कि योग्यता सूची में क्रम संख्या 33 (अधिसूचित रिक्तियों) तक के उम्मीदवारों का चयन उपलब्ध रिक्तियों में किया जा रहा है और तदनुसार 33 उम्मीदवारों को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया है।एक उम्मीदवार, जिसने 60.83 अंकों के साथ 18 वीं रैंक हासिल की, वह 28.12.2012 पर आयोजित परामर्श के लिए नहीं आया।नतीजतन, उक्त उम्मीदवार की गैर-भागीदारी के कारण सामान्य श्रेणी में एक पद अधूरा रहा।अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगणओं के समक्ष अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया, जो जी. ओ. सुश्री संख्या 91 दिनांक 03.11.2012 के तहत जारी दिशानिर्देशों के पैरा 8 पर निर्भर करता है।चूंकि अपीलार्थी को नौकरी की पेशकश नहीं की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने 2013 की ओ. ए. संख्या 4916 दाखिल करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रत्यर्थीगणओं को निर्देश देने की मांग की गई कि वे उसे रिक्त रिक्ति में माध्यमिक ग्रेड शिक्षक (एस. जी. टी.) के रूप में नियुक्त करें।न्यायाधिकरण ने उक्त ओ. ए. को यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमति दी कि अपीलार्थी जी. ओ. सुश्री संख्या 91 दिनांक 03.11.2012 के तहत जारी दिशानिर्देशों के पैरा 8 के अनुसार नियुक्ति का हकदार है।

बी.

सी.

2.4 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी और विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

डी.

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल आवेदक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

3. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वी. मोहना ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में 33 पदों को अधिसूचित किया गया था; इसलिए, जब तक 33 पद नहीं भरे जाते, यह नहीं कहा जा सकता है कि चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है।

एफ.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 2012 के नियम 16 (5) के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।इसलिए, वर्तमान मामले में, चयन अधूरा था क्योंकि उम्मीदवारों में से एक परामर्श और चयन का आदेश प्राप्त करने के लिए नहीं आया था।इसलिए, अपीलार्थी योग्यता के अनुसार अगला उम्मीदवार होने के नाते, अर्थात् 34 वें पद पर, 33 अधिसूचित रिक्तियों में से नियुक्ति का हकदार था, क्योंकि उम्मीदवारों में से एक परामर्श के लिए भी नहीं आया था और रिक्ति को अगले मेधावी उम्मीदवार, अर्थात् अपीलार्थी द्वारा भरा जाना था।

जी.

एच.

1085

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिशानिर्देशों के अनुसार, अनंतिम चयन सूची में उम्मीदवारों का सत्यापन किया जाना है और अंत में, परामर्श के बाद, अंतिम सूची प्रकाशित करनी होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि, नियम के साथ दिशानिर्देशों के खंडों को पढ़ने से पता चलता है कि जब तक सभी चयन नहीं किए जाते हैं, यानी सभी रिक्तियां भरी जाती हैं, अंतिम चयन सूची पूरी नहीं होती है और प्रक्रिया अधूरी है।3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 2012 का नियम 16 (5) चयन सूची तैयार करने का प्रावधान करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नियम के अनुसार चयन रिक्तियों की संख्या के बराबर किया जाना चाहिए।हालांकि, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और यदि किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति है, तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस नियम में विचार की गई स्थिति इस्तीफे, नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के बाद शामिल न होना, शामिल होने के बाद असामयिक मृत्यु आदि जैसी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, वर्तमान मामले में, चयनित उम्मीदवारों में से एक को कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था और इसलिए चयन पूरा नहीं हुआ था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिशानिर्देशों के साथ नियम के निष्पक्ष, सार्थक और संयुक्त अध्ययन पर, यह दर्शाता है कि अंतिम चयन सूची को सत्यापन और परामर्श के बाद ही तैयार और अंतिम रूप दिया जा सकता था और चयनित उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती थी।

बी.

सी.

डी.

3.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मोहना ने आगे यह प्रस्तुत किया कि वही नियम जो नियम, 2000 और नियम 13 के तहत मौजूद था, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 21306 में व्याख्या का विषय था।

ई.

2005 – (जिला शिक्षा अधिकारी और सदस्य संयोजक**,** जिला चयन समिति**,** निजामाबाद और अन्य। बनाम बी**.** अन्नपूर्णा**),**

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता की ओर से गलती के कारण एक संभावित और संभावित उम्मीदवार को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई खाली पद है, तो उसे योग्यता के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में रिक्तियों की संख्या के अधीन, भरा जाना आवश्यक है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

एफ.

जी.

3.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने बिना किसी देरी के अपनी शिकायत के निवारण के लिए तुरंत न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।कि अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसे पता चला कि उम्मीदवारों में से एक परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ था और एक पद अधूरा रह गया था।कि विद्वान न्यायाधिकरण ने एक सही पारित किया

एच.

और ओ. ए. को अनुमति देने वाला तर्कपूर्ण आदेश। इसलिए, उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

3.6 यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ ने मामले में केवल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है

आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि।इसके सचिव, शिक्षा विभाग और अन्य द्वारा। बनाम समीउला शरीफ और अन्य, 2014 (1) ALT

बी.

165 डी. बी., लेकिन उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग है।यह एक ऐसा मामला था जिसमें प्रत्यर्थीगणओं के खिलाफ आरोप नियुक्ति के बहुत बाद लगाए गए थे और एक जांच के अनुसार, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था और किन रिक्तियों के खिलाफ, असफल उम्मीदवारों द्वारा नियुक्तियां करने की मांग की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, एक पद के संबंध में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था और इसलिए चयन अधूरा रहा।इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने समीउला शरीफ (उपरोक्त) के मामले में केवल निर्णय पर भरोसा करके न्यायाधिकरण के सुविचारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, जो सही नहीं है।

सी.

डी.

3.7 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मोहना द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थी किसी भी आगे की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयु सीमा को पार कर चुका है, यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण को अपने मामले पर एक बार के उपाय के रूप में विचार करने का निर्देश दे सकता है।4. प्रत्यर्थीगणओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री महफूज अहसान नाज़की ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।राज्य की ओर से एक विस्तृत जवाबी हलफनामा भी दायर किया जाता है।

ई.

4.1 राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री नाजकी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में राज्य ने नियम 8 के तहत प्रदान की गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया है, जो निम्नानुसार हैः-

एफ.

(i) नियम 8 (ए) के तहत, रिक्तियों की एक अस्थायी सूची अधिसूचित की जानी है और उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए एक स्थान तय किया जाना है।

जी.

(ii) इसके बाद, नियम 8 (ए) से 8 (डी) सत्यापन के लिए प्रक्रिया प्रदान करते हैं;

(iii) नियम 8 (ई) के संदर्भ में, यदि कोई उम्मीदवार नियम 8 (ए) से 8 (डी) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया में अयोग्य पाया जाता है तो अनंतिम सूची को फिर से तैयार करने की आवश्यकता होती है।

एच.

1087

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

(iv) नियम 8 (च) के तहत, ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में एक और सत्यापन की परिकल्पना की गई है, जिन्हें नियम 8 (ए) से 8 (ई) के तहत अनंतिम सूचियों के संशोधन के परिणामस्वरूप शामिल किया गया हो सकता है; (v) नियम 8 (जी) में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम चयन सूची के प्रकाशन की परिकल्पना की गई है।

बी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, 01.12.2012 पर एक अस्थायी सूची अधिसूचित की गई थी।इसके बाद उम्मीदवारों का सत्यापन किया गया।उम्मीदवारों के सत्यापन पर, अनंतिम सूची को संशोधित किया गया और एक संशोधित अनंतिम सूची 12.12.2012 पर प्रकाशित की गई।इसके बाद, आगे के सत्यापन के अनुसार, नियम 8 (जी) के तहत एक अंतिम चयन सूची तैयार की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 8 (जी) के संदर्भ में, एक बार अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं हो सकती है।

सी.

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, अंतिम चयन सूची 25.12.2012 पर प्रकाशित होने के बाद, एक उम्मीदवार, जिसका नाम अंतिम सूची में उल्लिखित था, परामर्श के समय उपस्थित होने में विफल रहा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि परामर्श के लिए उपस्थित होने में उनकी विफलता अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद ही थी।यह कि प्रत्यर्थीगण नियम 8 (जी) से बाध्य हैं, जिसके संदर्भ में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं हो सकती है और इस प्रकार, अपीलार्थी के पक्ष में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था।

डी.

4.4 बिहार के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए

ई.

राज्य विद्युत बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद और अन्य **(2004) 2** एस**.** सी**.** सी**.**

681 , प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नाजकी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा है कि जहां नियमों में प्रतीक्षा सूची तैयार करने की परिकल्पना नहीं की गई है, किसी भी प्रतीक्षा सूची

वाले उम्मीदवार को किसी चयनित उम्मीदवार के शामिल न होने के परिणामस्वरूप नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

एफ.

4.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।6. शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रत्यर्थीगणओं द्वारा चयन प्रक्रिया की गई थी।33 पदों को अधिसूचित किया गया था और इसलिए अधिसूचित 33 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।33 उम्मीदवारों की योग्यता सूची/चयन सूची प्रकाशित की गई थी।हालांकि, चयनित उम्मीदवारों में से एक परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए, एक पद खाली रहा।एतऽ अपीलार्थी अगिला योग्य छथि।

जी.

एच.

उम्मीदवार, सीरियल नंबर 34 पर होने के कारण, उस पद पर नियुक्ति का दावा कर रहा है जो एक चयनित उम्मीदवार के कारण खाली रहा, जो परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ। न्यायाधिकरण ने उक्त दावे को स्वीकार कर लिया।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और चयन सूची तैयार करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, अपीलार्थी का उस पद पर कोई दावा नहीं होगा, जो अधूरा रहा, क्योंकि प्रतीक्षा सूची के लिए कोई प्रावधान नहीं था।इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या उस पद के लिए जो एक चयनित उम्मीदवार के परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण खाली रहा, अपीलार्थी उक्त पद पर नियुक्ति का हकदार है।

बी.

सी.

7. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, प्रासंगिक वैधानिक नियम और दिशानिर्देशों को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है।

7.1 नियम, 2012 का नियम 16 चयन सूची तैयार करने के संबंध में है।नियम, 2012 के नियम 16 का उप-नियम (5), जो इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

डी.

"(5) चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। भविष्य में भर्ती के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और यदि किसी भी कारण से कोई पद नहीं भरा गया है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा।"

ई.

7.2 राज्य सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें चयन सूची तैयार करना, परामर्श का संचालन करना और जी. ओ. सुश्री संख्या 91 दिनांक 03.11.2012 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति और नियुक्ति आदेश जारी करना शामिल है।उक्त दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 8 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जो नीचे दिया गया हैः-

एफ.

"8. प्रमाणपत्रों का सत्यापनः

क) जिला शिक्षा अधिकारी जिला चयन समिति के अनुमोदन से योग्यता सूची के आधार पर डी. एस. सी.-2012 में अधिसूचित प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की सीमा तक एक अस्थायी सूची तैयार करेगा और इसे जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान के साथ निर्दिष्ट वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में व्यापक प्रचार के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में एक प्रेस नोट भी जारी करेंगे।

जी.

एच.

1089

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

ख) डी. एस. सी.-2012 के लिए आवेदनों की प्रक्रिया अब तक ऑनलाइन की गई है, अनंतिम सूची में शामिल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया, कुछ मामलों में, इसके परिणामस्वरूप भी हो सकती है -आई. प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित होने में उम्मीदवार की विफलता।

बी.

ii.उम्मीदवार की अपनी पात्रता और चयन के लिए प्रासंगिक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता।iii. एक से अधिक श्रेणियों की अनंतिम सूची में एक उम्मीदवार को शामिल करना।

ग) उपरोक्त ख (i) के संबंध में, जिला शिक्षा अधिकारी अंतिम अवसर के रूप में उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि पर सभी प्रासंगिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत पते पर एक व्यक्तिगत सूचना भेजेगा।

सी.

घ) यदि उम्मीदवार इस प्रकार निर्धारित तिथि पर भी उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह चयन के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार को खो देगा।ङ) उपरोक्त ख (ii) और ख (iii) और (घ) की स्थिति में, अनंतिम सूची को जिला चयन समिति द्वारा योग्यता सूची से अगले उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सीमा तक फिर से तैयार किया जाएगा, हालांकि, इस शर्त के अधीन कि शामिल उम्मीदवारों की संख्या उस विशेष श्रेणी के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।जहाँ तक उपरोक्त बी (iii) द्वारा कवर किया गया उम्मीदवार है, यह अभ्यास प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय ही ऐसे उम्मीदवार का विकल्प प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

डी.

ई.

च) उपरोक्त (ङ) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्रों का आगे का सत्यापन, संबंधित उम्मीदवारों को उचित सूचना देने के बाद, उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

एफ.

छ) उपरोक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जिला चयन समिति शिक्षकों की सभी श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची तैयार करेगी।एक बार अंतिम चयन सूची तैयार हो जाने के बाद, शिक्षकों के पदों के लिए आंध्र प्रदेश प्रत्यक्ष भर्ती (चयन योजना) नियम, 2012 के नियम 16 के उप नियम (5) के अनुसार भविष्य में भर्ती के लिए कोई प्रतीक्षा सूची और पद नहीं होंगे, यदि किसी भी कारण से कोई पद नहीं भरा गया है।"

जी.

एच.

7.3 ऊपर निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ पठित नियम, 2012 के नियम 16 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, एक बार अंतिम चयन सूची तैयार होने के बाद, कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और यदि कोई पद किसी भी कारण से खाली हैं, तो उन्हें नियम, 2012 के नियम 16 के उप-नियम (5) के अनुसार भविष्य में भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

7.4 वर्तमान मामले में 33 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची तैयार की गई थी।इसके बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को परामर्श के लिए बुलाया गया, लेकिन उम्मीदवारों में से एक ने परामर्श के लिए रिपोर्ट नहीं किया।उपरोक्त कार्यक्रम अंतिम चयन सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के बाद हुआ।चूंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए योग्यता में अगला होने का दावा करने वाला अपीलकर्ता किसी भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाम न तो चयनित उम्मीदवारों की सूची में था और न ही किसी प्रतीक्षा सूची में क्योंकि प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।नियम 16 का उप-नियम (5) बहुत स्पष्ट है।इसलिए, अंतिम सूची में उम्मीदवारों में से एक के परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होने और/या रोजगार स्वीकार नहीं करने के कारण पद अधूरा रहा।इसलिए उस पद को अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ाना होगा।

बी.

सी.

डी.

7.5 अपीलार्थी उस पद पर नियुक्ति का दावा कर सकता था जो भरा नहीं गया था बशर्ते कि वैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो।प्रतीक्षा सूची के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में और इसके विपरीत, एक विशिष्ट प्रावधान है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और किसी भी आधार पर खाली पड़े पद को अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ाना होगा।इस प्रकार, अपीलार्थी को उस पद पर किसी भी नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था जो खाली रह गया था।

ई.

7.6 वर्तमान मामले में, पहली अस्थायी सूची 01.12.2012 पर प्रकाशित की गई थी।इसके बाद, एक संशोधित अनंतिम सूची 12.12.2012 पर प्रकाशित की गई और बाद में 33 चयनित उम्मीदवारों की 25.12.2012 पर एक अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई और जो उम्मीदवार परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ, वह दिनांकित 25.12.2012 की अंतिम चयन सूची में उम्मीदवारों में से एक था।इसलिए, एक बार प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं होने के बाद, अंतिम चयन सूची में उम्मीदवारों में से एक के परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण जो पद खाली रह गया था, उसे नियम 16 के उप-नियम (5) के अनुसार अगली भर्ती के लिए आगे ले जाना होगा।

एफ.

जी.

8. अब, अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि नियम 16 के उप-नियम (5) के अनुसार, अधिसूचित सभी 33 पदों को भरा जाना आवश्यक है, ए है

एच.

1091

वाल्लमपति सतीश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

संबंधित, उसी का कोई सार नहीं है।नियम 16 के उप-नियम (5) को समग्र रूप से और पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है और इसे जारी किए गए दिशानिर्देशों के साथ पढ़ने की आवश्यकता है।नियम 16 के उप-नियम (5) के तहत जो प्रावधान किया गया है, वह यह है कि चयनित उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी और पद, यदि कोई हैं, जो किसी भी कारण से खाली हैं, उन्हें भविष्य की भर्ती के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।इसलिए, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अधिक की कोई नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब प्रतीक्षा सूची तैयार करना और संचालित करना नहीं है, जो अन्यथा नियम, 2012 के तहत विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है।

बी.

सी.

8.1 इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया

सुरेश प्रसाद और अन्य का मामला (ऊपर)।उक्त निर्णय में, यह है

विशेष रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि यदि नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं हुए हैं, तो भी इसके विपरीत किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में, नियोक्ता योग्यता सूची में उक्त उम्मीदवारों के नीचे के उम्मीदवारों को रिक्त रिक्त स्थान की पेशकश करने के लिए बाध्य नहीं है।यह भी माना जाता है कि किसी भी प्रावधान के अभाव में, नियोक्ता चयनित उम्मीदवारों के पैनल के अलावा प्रतीक्षा सूची तैयार करने और पैनल के उम्मीदवार शामिल नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है।इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने

डी.

ई.

समीउला शरीफ और ओआरएस का मामला। (ऊपर)

9. सुरेश प्रसाद और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और दिशानिर्देशों के साथ पढ़े गए नियम, 2012 के नियम 16 में निहित वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी योग्यता सूची में उम्मीदवार के नीचे अगली खाली जगह पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है।यदि अपीलार्थी की ओर से निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान किया जाएगा, जो अन्यथा नियम 16 के उप-नियम (5) के अनुसार अनुमेय नहीं है।यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो उस मामले में, यह प्रत्यर्थीगण को वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य करने का निर्देश देगा।इसलिए, उच्च न्यायालय ने उस पद पर अपीलार्थी को नियुक्त करने से इनकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है जो अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों में से एक के परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण खाली रहा।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पूरी तरह से प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है जिनसे हम सहमत हैं।

एफ.

जी.

एच.

उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.